फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाड़ा)

राकेश पिता हरिनारायण ब्राहमण नि. देवली वगैरा

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 514/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
23.05.22	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम हनुमाननगर** प. ह. **उँचा तहसील जहाजपुर में स्थित** आ. न. 703 कुल किता [illegible] **रकबा 1.8777 हैक्टेयर** स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी [illegible] अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी [illegible] आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद मे प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुसंगत [illegible] एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ सलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्राथी द्वारा अप्राथीगण [illegible] साथ सीमा विवाद होना बताया है. अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम हनुमाननगर** प. ह. उँचा तहसील जहाजपुर **में स्थित आ. न. 703 कुल किता 01 रकबा** 1.8777 हैक्टेयर [illegible] पडोसियान की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है [illegible] रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा. उनमे से 10 [illegible] राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)

Scanned with CamScanner